



सत्यमेव जयते

स्थापना आदेश संख्या. 05/2022

वापी, दिनांक 17.01.2022

विषय: श्री राजेश छापोला, कर सहायक, वस्तु व सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क, दमण आयुक्तालय के तकनीकी त्यागपत्र की स्वीकृति के संबंध में।

श्री राजेश छापोला, कर सहायक, वस्तु व सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क, दमण द्वारा दिये गये "तकनीकी त्यागपत्र" को केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1965 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रावधानों के सामान्य नियमों और शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है। तदनुसार, उन्हें इस आयुक्तालय से 17.01.2022 (अपराह्न) को अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है ताकि वे अपने नये कार्यालय प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, दिल्ली क्षेत्र में तैनाती के अनुसार अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें।

2. श्री राजेश छापोला, कर सहायक को अपना पहचान पत्र और उन्हें आवंटित अन्य सरकारी वस्तुएं अभ्यर्पण करनी होगी।
3. श्री राजेश छापोला, कर सहायक ने 00 आकस्मिक अवकाश और 00 प्रतिबंधित अवकाश का लाभ इस चालू वर्ष 2022 में प्राप्त किया है।
4. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

O/c
received
WJ
18/1/2022

Shati
27/1/22
(डॉ. सुशांत रमेश पाटील)
उपायुक्त (का. व स्था.),

वस्तु व सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क, दमण.

Copy to:-

1. अपर /संयुक्त आयुक्त (मुख्य आयुक्त का कार्यालय), वस्तु व सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क, वडोदरा क्षेत्र वडोदरा।
2. प्रधान आयुक्त का कार्यालय, वस्तु व सेवा कर, दिल्ली क्षेत्र.
3. निजी सहायक, (आयुक्त), वस्तु व सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क, दमण
4. मुख्य लेखा अधिकारी, वस्तु व सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क, दमण।
5. अधीक्षक (सतर्कता), वस्तु व सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क, दमण।
6. वेतन और लेखा अधिकारी, वापी
7. व्यक्तिगत/गार्ड फाइल।

Mishra
18/01/22

प्राप्त / RECEIVED	
क्र. / No.	①
दिनांक / Date	18.01.22
हस्ताक्षर / Sign	<i>Sh</i>
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क, दमण	
GST & CENTRAL EXCISE	
दमण आयुक्तालय	
Daman Commissionerate	
दमण / DAMAN	

Received
Sh
18/1/2022